सार्वजनिक सूचना

सभी तंबाकू उत्पाद* पैकों पर 31 मई, 2009 से प्रदर्शित की जाने वाली निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियां

नोटिफिकेशन एस.ओ. 2815 (ई) दि. 28 नवंबर, 2008 के अनुसार केंद्र सरकार ने **31 मई, 2009** को वह तिथि तय की है जिस पर सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद पैकेजिंग व लेबलिंग नियम 2008 प्रभावी होंगे। (31 मई, 2009 को या उसके बाद निर्मित / पैक किए गए / आयात किए गए सभी तंबाकू उत्पादों के लिए लागू)

इन नियमों के अनुसार सिंगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पादों के निर्माण, आपूर्ति, आयात या वितरण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न कोई भी व्यक्ति सुनिश्चित करेगा कि सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद के प्रत्येक पैकेज** पर निर्धारित स्वास्थ्य चेतावनी होगी :

- यह पैक के फ्रंट पैनेल के प्रमुख डिसप्ले क्षेत्र का न्यूनतम **चालीस प्रतिशत** (40%) घेरेगा व ,
  - पैकेज के टॉप एज के पैरेलल पर पोजीशन होगा
  - मुख्य डिसप्ले एरिया पर जानकारी की दिशा में रहेगा।
- कोई भी संदेश जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विशेष तंबाकू ब्रांड अथवा तंबाकू के प्रयोग को बढ़ावा देगा वह तंबाकू उत्पाद पैकेज पर नहीं लिखा जाएगा।
- पैकेज पर विशेष स्वास्थ्य चेतावनी के बगैर कोई भी उत्पादन नहीं बिकेगा। निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी प्रत्येक रिटेल पैकेज पर छापी, चिपकाई या संलग्न की जायेगी।
- विशेष चेतावनी पैक में प्रयुक्त भाषा में होगी। यदि पैक पर एक से अधिक भाषा का प्रयोग होता है तो निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी दो भाषाओं में होगी एक जिसमें ब्रांड का नाम दर्शाया जाता है तथा दूसरा पैक पर उपयोग की गई कोई अन्य भाषा।
- किसी भी तंबाकू उत्पाद या लेबल में ऐसी जानकारी नहीं होगी जो गलत, भ्रामक या मिथ्यापूर्ण हो या जो तंबाकू उत्पादों या उसके एमिशन से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी खतरों या स्वास्थ्य पर उसके दुष्प्रभावों को गलत ढंग से पेश करें।

निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियाँ

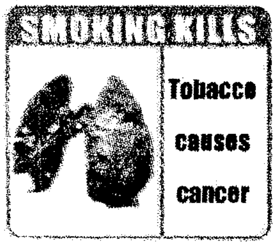

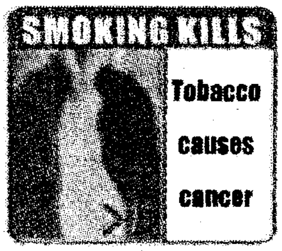

तंबाकू पैकेज के स्मोकिंग फार्म के लिए

तंबाकू पैकेज के चुइंग/स्मोकलेस फार्म के लिए

चित्र सहित इमेज चेतावनी वाले सीडी श्री एस. पद्मनाभ, अंडर सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कमरा क्र. 521, विंग-ए, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 (संपर्क : 011-23061342) से प्राप्य है

प्रोड्यूसर या निर्माता द्वारा इस प्रावधान का उल्लंघन कारावास से दंडनीय है जो दो वर्ष का हो सकता है अथवा 5000 रुपये का अर्थदंड अथवा दोनों तथा दूसरे या उसके बाद सजा होने पर पाँच वर्षों का कारावास तथा 10,000 रुपये तक अथदंड दिया जा सकता है।

विक्रेता या वितरक द्वारा इस प्रावधान का उल्लंघन कारावास से दंडनीय है जो एक वर्ष का हो सकता है अथवा 1000 रुपये का अर्थदंड अथवा दोनों तथा दूसरे या उसके बाद सजा होने पर दो वर्षों का कारावास तथा 3,000 रुपये तक अथदंड दिया जा सकता है।

** एक्ट के तहत तंबाकू उत्पादों में सिगार, सिगरेट, चुरुट, बीड़ी, सिगरेट तबांकू, पाइप तंबाकू तथा हुक्का तंबाकू, चबाने वाला तंबाकू, सुंघनी, पान मसाला या तंबाकू वाला कोई अन्य चबाने वाला पदार्थ शामिल है जिसका एक अवयव तंबाकू हो (जो किसी भी नाम से पुकारा जाता हो) गुटका व तंबाकू वाला दंत पाउडर।*

*** ' "पैकेज' का तात्पर्य है कि किसी प्रकार का पैक जिसमें सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद को उपभोक्ता बिक्री के लिए पैक किया गया हो परंतु इसमें थोक, अर्ध थोक या पूरा पैकेजों को शामिल नहीं किया जायेगा। यदि ऐसे पैकेज उपभोक्ता बिक्री के लिए नहीं है।'*

जनहित में जारी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

निर्दिष्टियों के विवरण **www.mohfw.nic.in** पर उपलब्ध है।

davp17102/13/0042/0910